फर्द अहकाम

जज अदालत .... उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी .... मुकाम कैम्प हीरापुर

सुरेश पुत्र परसादी गुर्जर, टरवाडागुवाडी **बनाम** 1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुरसिटी 2. सुरजी पुत्री गोरया पत्नि परसादी, गुर्जर टरवाडा गुवाडी

किस्म मुकदमा दावा घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती .... मि.नं० 42 .... सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	25-5-2015 पत्रावि आज लोक अदालत कैम्प हीरापुर में पेश हुए। वादी सुरेश पुत्र परसादी जाति गुर्जर निवासी टरवाडा गुवाडी ने दावा इस आशय का पेश किया कि ग्राम टरवाडा के ख०नं० 486/0.17, 487/0.29, 490/0.24, 492/0.14, 622/0.58 में प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज नहीं है तथा प्रार्थी नाबालिग है। इसलिए प्रार्थी के पिता का नाम परसादी दर्ज किया जावे एवं प्रार्थी के नाम के साथ दर्ज नाबालिग शब्द हटाया जावे क्योंकि प्रार्थी अब बालिग हो चुका है। दावे के साथ वादी ने नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी सं० 2068 से 2071 ग्राम टरवाडा, फोटोकोपी स्वयं के मतदाता पहचान पत्र की, फोटोकोपी प्रतिवादिया सुरजी के फोटो पहचान पत्र की, फोटोकोपी परिवार राशनकार्ड स्वयं, फोटोकोपी परिवार राशनकार्ड सुरजी, फोटोकोपी मनरेगा कार्ड, फोटोकोपी आधारकार्ड स्वयं, फोटोकोपी T.C., फोटोकोपी वसीयतनामा दि० 2-7-82 पेश की है। प्रस्तुत दावे की जाँच नायब तहसीलदार तलावडा से करवाई गई। नायब तहसीलदार तलावडा ने फर्द मौका पटवारी, I.L.R. व अन्य ग्रामीणों के सामने तैयार किया एवं ...	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो ... हुक्म की ता... में जारी हुए
	ढाणी गुवाड़ी (रखाड़ा) में की गई जाँच के अनुसार एवं वादी सुरेश द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार सुरेश के पिता का नाम परसादी है। प्रार्थी बालिग हो चुका है। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं० 2068-71 ग्राम रखाड़ा के ख०नं० 486/0.17, 487/0.29, 490/0.34, 492/0.14, 622/0.58 के अनुसार जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम अंकित नहीं है तथा प्रार्थी नाबालिग दर्ज है। सुरजी के भी पति का नाम दर्ज नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत फोटोकोपी T.C. के अनुसार वादी की जन्म तिथि 10-10-1983 है तदनुसार वादी बालिग हो चुका है एवं नायब तहसीलदार तलावड़ा की रिपोर्ट व वादी के अन्य दस्तावेजों के अनुसार वादी के पिता का नाम परसादी है, प्रतिवादिया सुरजी के पति का नाम परसादी है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख व रिपोर्ट नायब तहसीलदार तलावड़ा के अनुसार वादी स्वयं के पिता का व सुरजी के पति का नाम परसादी दर्ज कराने तथा नाबालिग शब्द हजफ कराने का अधिकारी है। अतः प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर ख०नं० 486, 487, 490, 492, 622 ग्राम रखाड़ा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त नम्बरों में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि सुरेश पुत्र परसादी, सुरजी पुत्री गौरया पत्नि परसादी, गूजर, सा० देह कृषक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार रेकार्ड में दुरुस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे। पत्रावली दर्ज होकर फैसलशुमार हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (मुनिदेव यादव) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी कैम्प हीरापुर	

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प हीरापुर

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

सुरेश पुत्र परसादी जाति गुर्जर निवासी टटवाडा गुवाडी तहसील गंगापुर सिटी ----वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
2. सुरजी पुत्री गौर्‌या पत्नि परसादी, गुर्जर नि. टटवाडा गुवाडी तह0गंगापुर ----प्रतिवादीगण

दावा घोषणां एवं इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नं. – 42/2015

वादी की ओर से वादी सुरेश पुत्र परसादी की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी सुरजी, पत्नि परसादी, तहसीलदार गंगापुर सिटी की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 25.5.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

ग्राम टटवाडा की भूमि ख0नं0 486 रकबा 17 एयर, 487 रकबा 29 एयर, 490 रकबा 24 एयर, 492 रकबा 14 एयर, 622 रकबा 58 एयर का वादी सुरेश पुत्र परसादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इन नम्बरो में दर्ज खातेदार सुरजी पुत्री गोरया के नाम के आगे पत्नि परसादी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार उपरोक्त नम्बरो में दर्ज वर्तमान इन्द्राज "सुरजी पुत्री गोरया सुरेश नाबा0 संरक्षक माता सुरजी गूजर सा0 देह कृषक" के स्थान पर "सुरजी पुत्री गोरया पत्नि परसादी, सुरेश पुत्र परसादी, गूजर सा0 देह कृषक" इन्द्राज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 25.5.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
कैम्प हीरापुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	